हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

श्रधिसूचना

दिनांक 4।दिसम्बर, 1992

सं० सा० का० नि० 88/सिब/म्रनु० 309/92.— भारत के संविधान के म्रनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यवास इसके द्वारा हरियाणा राजभवन हाउस होल्ड स्थापना (मृप-ग) सेवा में नियुवत व्यक्तियों की मर्ती मौर सेवा की शतों को विनियमित करने वाले निम्निसिद्धित नियम बनाते हैं

श्रयत् :--

- 1. ये नियम हरियाणा राजभवन हाऊस होत्ड स्थापना (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1992 संक्षिप्त नाम । कहे जा सकते हैं।
 - 2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से श्रन्यथा श्रेपेक्षित न हो, ---

परिभाषाएं।

- (क) "बोडं" से ग्रिमिप्राय है, ग्रिधनस्य सेवार्ये प्रवरण बोडं;
- (ख) "सीधी भर्ती" से ग्रभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेदा में से पदोन्नित या सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे ही किसी पदधारी के स्थानांतरण से ग्रन्थया की गई हो;
- (ग) "सरकार" से ग्रमिप्राय है, प्रशासनिक विमाग में हरियाणा सरकार;
- (घ) "सचिव राज्यपाल" से भ्रमिप्राय है, हरियाणा के राज्यपाल के सचिव;
- (ङ) "संस्या" से भ्रभिप्राय है :----
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
 - (ii) इन निथमों के प्रयोजन को सिये सरकार द्वारा माध्यका प्राप्त कोई काय संस्था;
- (च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से श्रमित्राय है,---
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
- (ii) 15 ग्रागस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) था प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय; या

- (iii) कोई म्रन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;
- (छ) "सेवा" से म्राभिप्राय है, हरियाणा राजभवन हाऊस होल्ड स्थापना (ग्रुप-ग) सेवा ।

भाग-II सेवा में भर्ती

पदीं की संख्या तथा स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताये गए पद होंगे :

परन्तु ः न नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि था कमी करने या विभिन्न पदनामों ग्रीर वेतनमानों वाले नये पद स्यायी स्रथवा ग्रस्थायी रूप से बनाने के सरकार के म्रलॉनिहित ग्रधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त उम्मीदव।रों की राष्ट्रिकता, ग्रधिवास तथा चरित्र।

- (1) नोई मी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,---
 - (क) भारत का नागरिक; या
 - (ख) नेपाल की प्रजा; या
 - (ग) भूटान की प्रजा; या
 - (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत के स्थायी रूप से बसने के श्राशय से ग्राया हो; या
 - (क्र) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान वर्मा, श्रीलंका, तथा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टागानिका और जंजीबार) जांबिया, मलवाबी, जायरे और थोपिया के किसी पूर्वी श्रकीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के श्राशय से श्राया हो;
 - परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से संस्वधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पावता का प्रमाण पव जारी किया गया हो ।
- (2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पालता का प्रमाण पत्न श्रावश्यक हो, बोर्ड या किसी श्रय मर्ती प्राधिकरण द्वारा संचाविल परीक्षा था साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा श्रावश्यक पालता प्रमाण पत्न जारी किये जाने के बाद दिया जा सकता है
- (3) कोई भीं व्यक्ति सेवा में किसीं पद पर सीवी तीं द्वार। नियुक्त किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के यदि कोई हो, प्रधान शैंअणिक ग्रधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्न ग्रीर दो ऐसे ग्रन्थ जिन्मेदार

ब्यक्तियों से, जो उसक सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे मली मांति परिचित हों मौर जो उसक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, या संस् । से संस्वनिधत न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्न प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेव। में किसी पर पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो शेर्ड को प्रावेशन पत्र प्रस्तुत करने की श्रंतिम तिथि को सबह वर्ष की झायु से कम या पैतीस वर्ष की झाय से ग्रंधिक का हो।

सायु ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सिचव, राज्यपाल द्वारा की जायेंगी।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्टि "ख" के खाना-2 में विनिद्धि तथा सीधी भर्ती से भन्यथा भर्ती की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्टि क खाना-3 में विनिद्धि भ्रहेताए तथा सत्तुभव न रखता हो :

श्रहेताएं ।

परन्तु सीत्री भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अहंताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जायेगी। यदि अनुसूचित जन्तियों, पिछड़ वर्गी, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रुप से विकलांग उम्मीदवारों में अवेक्षित अनुभव रखन वाल उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंग।

8. कोई भी व्यक्ति....

निरहंताएं।

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर सिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पित/पत्नी के जीवित होते हुए किसी ग्रन्थ व्यक्ति से विवाह कर लिया हो या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त का पाल नहीं होगा:
- परन्तु थिंद सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुक्षेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है तो यह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।
- 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी-

भर्तीका ढंग।

- (क) सहायक की दशा में,-
 - (i) लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या

- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा मारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ख) वरिष्ठ वेतनमान ग्राशुलिपिकों की दशा में,---

किसी राज्य सरकार ग्रामाश्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानातरण या प्रतिनियुक्त द्वारा;

- (ग) चालक की दशा में ---
 - (i) मोटर कलीनर में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) सीधी मर्ती द्वारा; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (घ) लिपिक/मंडारी की दशा में ----
 - (i) ग्रुप या ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्तत द्वारा 20 प्रतिशत से भ्रधिक नहीं; या
 - (ii) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार ग्रथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही सर्ग किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (2) सभी पदोन्तियां जब तक श्रन्यया उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के श्राधार पर की जायेंगी श्रौर केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नितयों के लिये श्रधिकार नहीं देगी।

परिवीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीर्धा भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की प्रविध के लिये और यदि प्रायया नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा:

परन्तु ---

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर क्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्त की अवधि में गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकझ प्रथव। उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई प्रविध, दियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के प्रयीन नियत परिवीक्षा प्रविध की ग्रोर गिनने दो जा सकती है; ग्रीर

- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त म किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार महीं होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राथ में परिवीक्षा की भ्रवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य था भ्राचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,----
 - (क) यदि ऐसा व्यक्ति सोधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाग्रों से श्रांसग कर सकता है; ग्रीर
 - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सोधी भर्ती से ग्रत्यथा नियुक्त किया गया हो तो----
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतियतित कर सकता है; या
 - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी श्रन्थ रीति में कार्रवाई कर सकता है
 जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन ग्रीर शर्ते अनुज्ञात करें।
 - (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा ग्रवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी;
 - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा ब्राचरण संतोषजनक रहा हो तो---
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्यायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो उसकी नियुक्ति को तिथि से पुष्ट कर सकता है;
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी झस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने को तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने सपनी परिवोक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या
 - (ख) यदि उसका कार्य या ग्राचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो ती ---
 - (i) यदि वह सीधी मती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसके सेवा से ग्रलग कर सकता है, यदि श्रन्था नियुक्त किया गया हो तो उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी ग्रन्थ रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्ते ग्रनुकात करे; या
 - (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे झादेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम झवधि की समाप्ति पर कर सकता वा।

परन्तु परिलोक्षा की कुल श्रवधि, जिसमें बढ़ाई गई श्रवधि भी, यदि हो, शामिल है, तीन वर्ष से श्रधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संबर्ग हो, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिये ज्येष्ठता ग्रलग-ग्रलग निश्चित की जायेगी:

वा परन्तु यह ग्रौर कि सोधी भर्ती द्वारा नियुक्त उदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड द्वारा निश्चित योग्यता कम को परियत्तित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह ग्रौर कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या तो से ग्रधिक सदस्यों की दशी में, उसकी ज्येष्ठता निम्निचित रूप से निश्चित की जायेगी;

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नित या स्थानातरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोत्नित द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानातरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नित द्वारा अथवा स्थानीतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येट्टना ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्टता के स्रनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किये गये थे; स्रोर
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी उग्रेष्ठता वेतन के झनुसार निश्चित की जायेगी, झिंधमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगी जो झपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन से रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों से उनके सेवाकाल के झनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो झायू में बड़ा सदस्य झायु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दाधित्व।

- 12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य रं स्थवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये झारेश दिये जाने पर ऐसा करने व स्थिय वायी होगा ।
- (2) सेवा के किसी सदस्य की सेवा के लिये निम्नलिखित के ग्रधीन भी प्रतिनियुक किया जा सकता है,---
 - (i) कोई कस्पती, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण संयवा संधिकांश, स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के ए।

- है, या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण प्रथव। विक्वविद्यालय:
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या ऋधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या
- (iii) कोई श्रन्य राज्य सरकार, श्रंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वायता निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो ग्रंथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमित के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी झन्य राज्य सरकार था किसी संगठन या निकाय की सेवा के झधीन प्रतियुक्ति नहीं किया जायेगा।

Ĺ

13. वेतन, छुट्टी, पशान तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन तथा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गये हों अय वा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

वेतन, छुट्टी, पेशन तथा स्नन्य मामले।

14. (1) श्रनुशासन, शास्तियां, तथा श्रपीलों से सम्बंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (इण्ड तथा श्रपील) नियम, 1987, हारा नियंत्रित होंगे :

ग्रनुशासन, शास्तियां तथा ग्रपीलें ।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा प्रपील प्राधिकारी भारत के संविध म ने ग्रन् करें 309 में ग्रंथिन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के ग्रंथीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्टि (ग) में विनिद्धिष्ट है।

- (2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा भ्रपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के म्रधीन म्रादेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा म्रपील प्राधिकारी भी वहीं होगा जो इन नियमों के परिशिष्टि (घ) में विनिद्धि है।
- 15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण झावेश द्वारा ऐसा निदेश करें टिका लगावायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

16- सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपय न ले ली हो, ऐसा करने की ध्रेपेक्षा की कायेगी। टीका सगवाना।

राजनिष्ठा की शपय ।

विशेष उपवंध ।

17. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति प्रादेश में विशेष निबंधन तथा शर्ते लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है।

ढील देने की शक्ति ।

18. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना श्रावश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर ब्रादेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारें में ऐसा कर सकती है।

ग्रं(रक्षण ।

19. इत नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों, के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े बगों, मूलपूर्व सैनिकों तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तुं इस प्रकार किये गये द्वारक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय प्रचास प्रतिशत से द्वविक न हीं होगी ।

िरसम् सया यंुर्तत्त ।

20. सेवा को लागू कोई निधम तथा इन धिमों में से किसी के अनुरूप कोई निधम, जो इन निध में को अन्दरम के तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरुक्ति है से छारा है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के झधीन किया गया कोई झावेश या की गई कोई कार्रवाई इन थिमों के झनुरूप उपवंधों के झडीन किया गया झावेश भयवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट "क" (देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पद नाम पद्यों की संख्या	जोड़	वेतनमान	
		स्थायी	ग्रस्थायी		
1	2	3	4	5	6
					ए पये
1.	सं हायक	1	1		,400—40—1,600—50—2,300-द०रो० —60—2,600 र० जमा 60 र० विशेष वेतन
2.	वरिष्ट वेतनमान ग्राणुलिपिक	<u> </u>	1		1,400—40 1,600—50—2,300-द०रो —60—2,600 रु० जमा 60 रु० विशेषवे तन
3.	चलिक	4			.200—30—1,560—द॰रो॰—40— 2,04 ६० जमा 300 ६० विशेष वेतन
4.	लिपिक	1			950—20—1,150—द०रो०-25—1,500 ह जमा 40 ह० दिशेष वेतन
5.	भण्डारी	1	-		350—20—1,150-द॰ रो॰-25-1,500 र ० जमा 40 रु० विशेष वैतन

परिशिष्ट **''ख''** [देखिये नियम 7]

ऋम संख्या	पद नाम	सीधी मतीं के लिए शैक्षणिक अहुँताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीघी मर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक ग्रह्ताएं तथा श्रनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	स्ह।यक		लिपिक के रूप में तीन वर्ष की सेवा;
2	वरिष्ठ वेतनमान _{स्रा} शुलिपिक		(i) कनिष्ठ वेतनमान प्राश्वुलिपिक के रूप में एक वर्ष का स्रमुभय ;
			(ii) 80 शब्द प्रति मिन्ट की गति से हिन्दी प्राशु- लिपि और 15 शब्द प्रति मिन्ट की गित से उसके प्रतिलेखन की और 100 शब्द प्रति मिन्ट की गित से ग्रंग्रेजी ग्राशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिन्ट की गित से उसके प्रतिलेखन की परीक्षा पास की हो।
3	चालक	मिडल पास होना चाहिये तया बाहन चलाने, के पांच वर्ष के बास्तबिक स्रन्भव सहित भारी	(i) मोटर क्लीनर के रूप में पांच वर्ष का श्रनुभव ; श्रीर
		वाहन नथा हल्के वाहन की चलाने की श्रनुशप्ति रखता हो, स्वस्थ शरीर तथा सामान्य वृष्टि रखने वाला हो	(ii) भारी वाहन तथा हल्के वाहन को चलाने की अनुक्रमित रखता हो ।

1607

1	2	3	4
4	लिपिक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक प्रथम श्रेणी/उच्च त र	(i) मैद्रिक ; तथा
	·	माष्ट्यमिक द्वितीय श्रेणी/इन्टरमी- डियेट द्वितीय श्रेणी/स्नातक या इसके समकक्ष ; भीर	(ii) ग्रुप गया ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष का ग्रेनुभव जिसका वेतनमान उस लिपिक के वेतनमान से कम हो या इस रूप में संयुक्त ग्रनुभव।
	•	(ii) मैद्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; भूतपूर्व सैनिकों के लिये मैद्रिक या सेना में पंद्रह वर्ष की सेवा तथा प्रथम श्रेणी सेवा प्रमाण-पत्न ।	
5,	भण्डारी	 (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक प्रथम श्रेणी/उच्चतर माध्यमिक द्वितीय श्रेणी/इण्टरमीडियेट द्वितीय श्रेणी/ स्नातक या उसके समकक्ष; ग्रीर 	 (i) मैट्रिक; तथा (ii) ग्रुप ग या ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष का धनुभव जिसका वेतनमान उस लिपिक के वेतनमान से कम हो
		(ii) मैद्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; भूतपूर्व सैनिकों कें लिए मैद्रिक या सेना में पन्द्रह वर्ष की सेवा तथा प्रथम श्रेणी सेवा प्रमाण-पत्न ।	या इस रूप में संयुक्त अनुभव ।

परिशिष्ट ''ग''

[देखिये	नियम	14	(1)
---------	------	----	-----

क्रम संख्या	पदनाम	नियुनित प्राधि का री	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सगक्त प्राधिकारी	ध पील प्राधिका री	द्वितीय तथा मन्तिम मपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	सङ्घयक	सचिव, राज्यपाल	छोटी मास्तियां —	सचिव, राज्यपाल	सरकार	
2.	वरिष्ठ वेतनमान ग्राम् लिपिक		(i) वैयक्तिक फाईल (झाचरण पंची) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;			
3.	चालक		(ii) परिनिन्दा ;			
4.	लिपिक		(iii) पदोन्नति रोकना;			
5.	भण्डारी		(iv) उपेक्षा या भादेशों के उस्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या भिष्ठकांश स्थामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसव् या राज्य विधान मंडल के भिष्ठिनयम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी			

- (v) बेतन वृद्धियां रोकना;
 - (2) बड़ी शास्त्रियां-
- (vi) किसी विनिधिष्ट भवधि के लिये समय-यान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे मतिरिक्त निदेशों सहित कि स्था सरकारी कर्मचारी ऐसी प्रवनति की श्रवधि के दौरान वेतन वृद्धियां मजिल करेगा या नहीं धौर क्या ऐसी भवधि की समाप्ति पर ऐसी प्रवनति उसकी भावी वैतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं;
- (vii) निम्नतर वैतनमान, ग्रेंड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेंड, पद या सेव। पर जिससे वह ग्रवनत किया गया या, पदोन्नति के लिए साधारणतय: रोक होगी, ऐसा, जिस

ग्रेंड प्रयवा पद श्रयवा सेवा से सरकारी कर्मचारी श्रवनत किया गया या उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेंड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्ती संबंधी श्रतिरिक्त विदेशों के साथ या उनके बिना होगा;

(viii) अनिवाय सेवा निवृत्ति ;

- (ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के प्रधीन भाबी नियोजन के लिये निरहैता नहीं होगी:
- (x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के प्रधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतय: निरहंता होगी।

HARYANA G

परिभाष्ट ''घ''

[देखियं नियम 14 (2)]

ऋम संख्या	पदना य		आदिश्व का नाम	ग्र.देश करने के लिये स गक् त प्राधिकारी	श्रपील प्राधिकार
1	2	-	3	4	5
1.	सहायक	(क)	पैंशन को नियंतिक करने वाले नियमों के स्रधीन श्रनुशेय सामान्य/श्रतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना	सचिव, राज्यपाल 	सरकार
2.	वरिष्ठ वेतनमान श्राशुलिपिक	(ৰ)	त्रधिवर्षिता के लिए नियत ग्रायु होने से ग्रन्यथा नियुक्ति की समाप्ति		
3.	चालक				
1.	लिपिक/ (स्टोर-कोपर) मंड़ारी				

बी० एस० स्रोझा,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

RAJ BHAVAN

Notification

The 4th December, 1992

No. G. S. R. 88/Const/Art. 309/92—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment, and conditions of service of persons appointed to the Haryana Raj Bhavan House-hold establishment (Group C) Service, namely:—

PART-I-GENERAL

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Raj Bhavan Household Establishment (Group C) service Rules, 1992—

Definitions.

- 2. In these rules unless the context otherwise requires,-
- (a) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Harvana;
- (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (d) "Governor Secretary" means the Secretary to Governor, Haryana;
- (e) "Institution" means-
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryan; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;
- (f) "recognised university" means-
 - (i) any university incorporated by law in India;
 - (ii) in the case of a degree, diploma, or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or
- (iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules; and

(g) "service" means the Haryana Raj Bhavan House-hold Establishment (Group C) service.

PART-II—RECRUITMENT TO SERVICE

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

- 4. (1) No person shall be appointed to any post in service, unless he is -
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan; or
 - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
 - (e) a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority, but the officer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he has produced a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certficate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.
- 5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty five years of age on the last date of submission of application to the Board.

Nationality,
Domicile and
Character of
candidate
appointed to
the Service.

HARYANA GOVT GAZ., DEC, 15, 1992 (AGHN. 24, 1914 SAKA)

Appointing Authority.

6. Appointment to any post in the Service shall be made by the Governor Secretary.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and these specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, ex-servicemen and physically handicapped candidates, possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No persons,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment,

- 9. (1) Recruitment to the Service shall be made,-
 - (a) in the case of Assistants—
 - (i) by promotion from amongst Clerks; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
 - (b) in the case of Serior Scale Stenographers by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
 - (c) in the case of Drivers—
 - (i) by promotion from motor Cleaner; or
 - (ii) by direct appointment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Governmen of India;

- (d) in the case of Clerk/Store-Keeper-
 - (i) not more than 20% by promotion from amongst Group C or Group D empolyees; or
- (ii) by direct appointment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of a State Government or the Government of India.
- (2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-fitness or senority-cum-merit basis as the case may be, and seniority alone shall not confer any right to such promotions.
- 10. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation, for a preiod of two years, if appointed by direct recruitment and or year, if appointed otherwise:

Provided that-

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank prior to appointment to any post in the service may, in the case of appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If in the opinion of the oppointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may—
 - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and
 - (b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person the appointing authority may,—
 - (a) If his work and conduct has in its opinion, been satisfactory,
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a parmanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy: or

Probation.

- (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily if there is no permanent vacancy; or
- (b) if his work or conduct has, in its opinion, not been satisfactory,—
 - (i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post, or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. The seniority, inter se of the members of the service shall be determined by the length of continuous service on a post in the service:

Provided that where there are different cadres in the service the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, senjority shall be determined according to the senjority of such members in the appointment from which they were promoted or transerred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointments and if the rates of pay drawn are also the same then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve any place whether within or outside the State of Haryana on being ordered so to do by the appointing authority.

- (2) A member of the Service may also be deputed to serve under:-
 - (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana; or
 - (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) any other State Government, an international organisation an autonomous body not controlled by the Government or a private body;
 - Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government for any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

13i In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Pay, Leave, pension and other matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time:

Discipline, penalities and apocal.

- Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority, shall subject to the provisions of any law or rules made under the Constitution of India, be as specified in Appendix C to these rules.
- (2) The authority competent to pass and order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) or rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.
- 15. Every member of the service shall get himself vaccinated or re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

16. Every member of the service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and the Constitution of India as by law established.

Oath or allegiance.

Powers of relexation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special Provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and connitions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for scheduled caste, backward classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and Saving.

20. Any rule applicable to the service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is nereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(See rule 3)

Serial	Designation of poets	Number	of posts			
No.	Designation of posts	Permanent	Temporary	Total	Scale of pay	
1	. 2	3	4	5	٠.	
1	Assistant	1	l	2	1,400-40-1,600-50-2,300-EB- 60-2,600+Rs. 60 Special Pay.	
2	Senior Scale Stenographer	-	1	1	1,400—40—1,600—50—2,300—EB— 60—2,600Rs. 60 Special Pay.	
3	Driver	4	 -	4	1,200—30—1,560—EB—40—2,040— Rs. 300 Special Pay.	
4	Clerk	. 1		Ī	950-20-1,150-EB-25-1,500+ Rs. 40 Special Pay.	
5	Store Keeper	. 1		1	950-20-1,150-EB-25-1,500-1 Rs. 40 Special Pay.	

APPENDIX 'B'

(See rule 7)

Serial No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2 .	3	4
1	Assistant		Three years experience as Clerk
2	Senior Scale		(i) At least one year experience as Junior Scale Stenograyher.
	Stenographer		(ii) Passed test in Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute and English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at a speed of 20 words per minute.
3	Driver	(i) Should have passed Middle standard examination having Heavy Motor Vehicle/Light Motor Vehicle driving	(i) Five years experience as Motor Cleaner; and
		licence with five years actual experience of vehicle driving.	(ii) Possesses licence in Heavy Motor vehicle/light Motor Vehicle driving.
		(ii) Should be able bodied with robust health and normal sight.	

2

1

(i) Matric first division/Higher Secondary Second division/Intermediate second division/Graduate of a recognised University or its equivalent; and

3

(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.

For Ex-servicemen, Matric with fifteen years service in the Army and Army Certificate Class-1.

5 Store-keeper

- (i) Matric First division/Higher Secondary Second division/Intermediate second division/Graduate of a recognised University of its equivalent; and
- (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard.

For Ex-servicemen, Matric with fifteen years service in the Army and Army Certificate Class-I.

- (i) Matric; and
- (ii) Five years experience as Group C employee whose scale of pay is less than that of a Cierk or Group D employee or combined experience as such.
 - (i) Matric; and
- (ii) Five years experience as Group C employees whose scale of pay is less than that of a Clerk or Group D employee or combined experience as such.

APPENDIX 'C'
[See rule 14(1)]

Seriai No.	Designation of post	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty		Second and final appe- llate autho- rity if any
1 .	2	3	4	5	6	7
			Minor Penalties			
1	Assistant	Governor Secretary	(i) warning with a copy in the personal file (Character roll);	Governor Secretary	Governmer	nt —
2	Senior Scale Stenographer		(ii) censure;			
3	Driver		(iii) withholding of promotion:			
4	Clerk		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by			
5	Store Keeper). 	negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority of University set up by an Act or Parliment or of the Legislature or a State; and			

1 2 3 4

6

Government

7

5

(v) withholding of increments of pay;

(2) Major Penalties—

- (vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;
- (vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such

restoration to that grade, post or service;

(viii) compulsory retirement;

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX 'D'

[See rule 14(2)]

Serial No.	Designation of the posts	Nature of order	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Assistant	(a) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension	Governor	Governmen
2	Senior Scale Stenographer	admissible under the rules governing pension;	Secretary	
3	Driver	-		
4	Clerk	(b) terminating the appointment other- wise than on his attaining the age fixed for superannuation.	•	
5	Store-Keeper	ined to bepotaniaming.		

B. S. OJHA,

Chief Secretary to Government, Haryana.